International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-1 Jan-Feb-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

पंचायती राज सस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता का संक्षिप्त विश्लेषण

Kshirsagar Nyana Bhausaheb,
Research Scholar, Dept of Political Science,
Sikkim Professional University, Sikkim, Gangtok

Dr Satyveer Singh,
Professor, Dept of Political Science,
Sikkim Professional University, Sikkim, Gangtok

सार–

पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानी जाती है। इनकी कुशलता नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। विकास परियोजनाओं में जन सहभागिता को प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं की प्राचीन काल से अलग–अलग रूपों में स्थापना की। पंचायतें भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। प्राचीन काल में पंचायतों को स्वायत्त स्वशासन की इकाइयां कहा गया है। इनका गठन समाज के उच्च वर्ग से संबंधित वृद्ध सदस्यों द्वारा होता था। महिलाओं के इनके सदस्य होने के प्रमाण नहीं है। इन संस्थाओं में पुरूषों को सदस्यता, मनोनयन या परम्पराओं द्वारा स्वतः ही प्राप्त होती थी। इन सस्थाओं को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पंचायतों के इस स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा है। मुगल एवं ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका न्यायिक न रह कर प्रशासनिक उद्वेश्यों की पूर्ति करने वाली हो गयी। प्रबन्धात्मक पक्ष गौण हो गया है। मुगल बादशाहों ने इसे भू–प्रबन्ध की संख्या के रूप मे देखा तो अंग्रेजों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे पुनर्जिवित करने का प्रयास किया। दोनों ही कालो में इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक नहीं रहा। महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके लिए सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मत्रांलय, ग्रामीण विकास मत्रांलय आदि के द्वारा महिलाओं हेतु अनेकानेक उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएं परिचालित है।

परिचय

परम्परागत ग्राम पंचायतों का समकालीन पंचायती राज व्यवस्था से कोई मेल नहीं है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था प्रकृति, संगठन, नेतृत्व एवं उद्धेश्य के आधार पर ऐतिहासिक पंचायतों से अलग है। जहां ऐतिहासिक पंचायतों की प्रकृति सामाजिक थी, कार्यक्षेत्र एकाधिक गांवो तक ही सीमित था और नेतृत्व उच्च वर्ग के प्रमुख सदस्यों के हाथों में था, जिनका प्राथमिक उद्धेश्य पंच–परमेश्वर के सिद्वांत पर आधारित न्याय प्रदान करना था। समकालीन पंचायत राज व्यवस्था एक सांविधानिक राजनीतिक संस्था है जिसे त्रि–स्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है। अब नेतृत्व प्रजातांत्रिक आधार पर चुने गये नेताओं के हाथ में है, जिनमें

आज नयी पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण की वजह से महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व है। अब पंचायतें, योजनाएं बनाने और उन्हें चलाने जैसे कार्यो के साथ व्यवस्था मूलक कार्य भी देखती है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति वास्तविक रूप में उतनी अच्छी नहीं है जितनी क्रियान्वित करने की कोशिश की गई है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मूल उद्वेश्य स्थानीय स्वशासन की ईकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है। इस हेतु नियम, अधिनियम बनाये गये है। लेकिन व्यवहारिक रूप में पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अधिकारों के संदर्भ में समस्त शक्तियां पूर्णतः पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होनी चाहिए। शक्ति केन्द्र प्रभुत्व सम्पन्न लोगों से हटकर जन साधारण में नीहित होनी चाहिए। सरकारी अनुदानों की राहत पर चलने वाली पंचायतों से न तो लोक शक्ति निकल सकती है न लोक अभिक्रम।

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने से लोगों की यह सोच थी कि महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनेगी, ग्राम पंचायतों की सदस्य बनेगी, ब्लॉक पंचायतों के पद पर आसीन होगी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेगी तो पुरूषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। उनमें साहस व आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रशंसनीय कदम 8 मार्च, 2008 को महिला दिवस पर तत्कालीन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यदि यह विस्तारित आरक्षण क्रियान्वित होता है तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल होगी। 2 अक्टूम्बर, 1959 को पंचायती राज के शुभारंभ के अवसर पर जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि "लाखो गांवो के स्तर को ऊंचा उठाना कोई आसान काम नहीं है धीमी प्रगति का कारण सरकारी तंत्र पर हमारी निर्भरता है। वह काम तभी संभव है जब लोग स्वयं अपने हाथ में यह जिम्मेदारी ले।

लोगों से केवल परामर्श लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनके हाथों में प्रभावी शक्ति भी होनी चाहिए"। इस अवस्था की स्थापना पर राय देते हुए प्रो. रजनी कोठारी ने कहा पंचायती राज की स्थापना राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था का निर्माण हो रहा है। इससे देश की एकता भी बढ़ रही है। वही लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को सामुदायिक लोकतंत्र के समान तथा पश्चिम के सहभागी से अधिक आधुनिक बताया गया है।

भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया है सशक्तिकरण सतत् चलने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चलती रहती है। महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि पुरूषों की मानसिकता एवं सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ऐसी सही दिशा दी जायें कि वें महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के लिए वातावरण तैयार कर सके। सशक्तिकरण को नैतिक संवैधानिक दृष्टि से देखा जाने के साथ–साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्विक विकास और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है। सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नहीं अपितु उसकी विभिन्न भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता है।

संविधान के 73 वें, 74 वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण व स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों व नीतिनिर्देशक तत्वों में महिला और पुरूष को समानता की स्थिति प्रदान करते हुए भी कुछ विषेष प्रावधान महिलाओं के लिए किये गये है, साथ ही समय–समय पर महिलाओं के लिए कई कानून बनाये गये है। जैसे दहेज विरोधी अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि अनेक कानून है। जिनमें महिलाओं को पुरूषों के बराबर का स्तर प्राप्त है।

महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके लिए सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मत्रं ालय, ग्रामीण विकास मत्रांलय आदि के द्वारा महिलाओं हेतु अनेकानेक उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएं परिचालित है।

छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर पृथक अध्याय रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसके बाद राष्ट्रीय कार्य योजना में बालिका शिक्षा को मुख्य प्रश्न बनाया। नवीं पंचवर्षीय योजना में नारी सबलीकरण के नाम से एक उपयोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। जिसमें "महिला कल्याण के प्रत्यय को प्रतिस्थापित कर सबलीकरण रखा गया है"।

पंचायती राज सस्ंथाओं के माध्यम से सशक्तिकरण के माध्यम के प्रयोग में एक और तथ्य सामने आया कि यदि इस प्रयास को आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया जाये तो और भी अधिक रचनात्मक परिणाम सामने आयेगें। राजनीतिक सशक्तीकरण मे कई महिलाएं राजनीतिक शक्ति की प्रथम बार उपयोगकर्ता बनी है। जिनकी सामाजिक स्थितियां, शैक्षिक स्तर और आर्थिक पिछड़ा पन किसी भी तरह उनके पक्ष में नहीं है किन्तु राजनैतिक साझेदारी ने उनकी स्थितियों को सुदृढ़ बनाया है।

राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जहां से शक्ति प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों में उपस्थित महिला सशक्तिकरण के मार्ग के बाधक तत्वों को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। इस हेतु महिला वर्ग महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने हेतु संघर्षरत है जो महिलाओं को राज्य विधानसभा व संसद में 50 प्रतिशत सीटे आरक्षित करने का प्रावधान करता हैं

महिला सशक्तीकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 1996, 1997, 1998, 2000 में अलग–अलग सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 में इस विधेयक पर कोई विचार तक नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध में महिला सशक्तिकरण व आरक्षण के सैद्वान्तिक पक्ष के अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का आंकलन करने के लिए महिलाओं और पुरूषों के साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं का भी गहन अवलोकन किया गया। महिला आरक्षण के संदर्भ में यह मत उभर कर आया है कि स्थानीय स्तर के समान यदि राज्य विधानसभा एवं संसद में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण किया जाता है तो वह उनको सशक्त करने की ओर एक प्रयास होगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन श्रीगंगानगर जिले की महिलाओं चाहें वें पंचायतों में किसी भी पद पर (जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) कार्य कर रही है कि कार्यशैली में क्या परिवर्तन आया है निश्चित रूप से अब उनकी सहभागिता निरन्तर बढ़ रही है। उनके चुने जाने के बाद जहां कुछ समय तक उनके पतियों ने उनके कार्यो को किया वहीं उनके बाद जल्दी ही महिलाएं अपने कार्यो को भलीभांति समझकर करने लगी है। अब ये नियमित रूप से बैठकों में भाग लेती है तथा खुलकर बोलती है। जहां पहले वे बैठक में हर समय घूंघट या पर्दा में रहती थी वही धीरें–धीरें अब यह प्रवृति समाप्त होने लगी है। जिसे निश्चित रूप से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जा सकता है। जो केवल 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संभव हुआ है अब महिलाएं अपने क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को अच्छी तरह से समझने लगी है। तथा उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान महिलाओं से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर उन्होनें बड़े ही सहज भाव से दिए। उनका कहना था कि शुरूआत में उन्हें चुनाव लडने तथा वोट मांगने में हिचक होती थी इसलिए वें घरवालों के कहने पर ही चुनाव लड़ती थी। इसके विपरित अब पुरूषों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होनें चुनाव लडते समय अपने क्षेत्र की महिलाओं के विकास को प्रमुख मुद्वा बनाया, चूंकि महिला ही महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकती है इसलिए चुने जाने के बाद उन बुराईयों को दूर करना चाहती है, जो महिलाओं के विकास में बाधक है।

पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के दौरान निम्न तथ्य उभर कर आएं है –

सारणी संख्या–1

राजनीति में आने के कारण के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	कारण	कुल	प्रतिशत
1	पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि	95	31.7
2	नाम व पैसा कमाना	60	20.0
3	सामाजिक विकास के कार्य करना	145	48.3
	कुल	300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

सारणी संख्या–2

73 वें संविधान अधिनियम से आये परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	परिवर्तन	कुल	प्रतिशत
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का आना	160	53.3
2	चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन	25	8.3
3	अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ना	70	23.3
4	अन्य	45	15

	कुल	300	100

- सारणी 1 में दर्शाया गया है कि चयनित महिला प्रतिनिधियों में से 48.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि वें राजनीति में इसलिए आयी क्योंकि वे सामाजिक विकास के कार्य करना चाहती थी तथा वें भी ऐसे कार्यक्षेत्र में सफलता से काम कर सकती है जहां पुरूषों का वर्चस्व है।
- सारणी 2 के अनुसार महिला प्रतिनिधियों में से 53.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना है कि पंचायती राज संस्थाओं में 73 वें संविधान अधिनियम से आयें परिवर्तन के बाद महिलाओं में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता आयी है।

समस्याएं –

समय–समय पर कुछ मद्दों पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों में समुचित तालमेल स्थापित नहीं होता है। अर्थात् विवाद उभरते रहते है जो कि आज के विशेषीकरण के युग में कार्य निर्भरता को प्रभावित करते है। पंचायत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

- ग्राम पंचायतों के पास समुचित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का अभाव होता है। जिससे वें विकास कार्यो में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती है।
- चुनकर आ रही महिलाओं में अपने स्तर पर यह मानसिकता बनी हुई है कि राजनीति पुरूषों का क्षेत्र है जिससे अपना स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है।
- महिला प्रतिनिधियों को अपने राजनीति में कदम रखने या निर्वाचित होने का उद्धेश्य का ज्ञान होना भी उनके राजनीति संबंधी सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष–

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायती राज की मौलिक सोच व विकेन्द्रिकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हेतु एक तिहाई आरक्षण संबंधित प्रावधान उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उनके साथ समुचित न्याय करता है। अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये है यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेगें।

संदर्भ सूची

- रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डा. आर.एन. त्रिवेदी, डा. डी.पी. शुक्ला, कालेज बुक डिपो, 83, त्रिपोलिया बाजार जयपुर, 2015
- जाति एवं राजनीति, भारतीय सामाजिक समस्यायें राम आहूजा 2004, रावत– सूचना भवन, नई दिल्ली–11003

- पंचायती राज विकास का राज, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2008 – सूचना भवन, नई दिल्ली–11003
- हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : एच.टी.टी.पी./वीकीपीडिया ओ.आर.जी. इन 7. रिथिकिंग दा रोटेशन टर्म ऑफ रिर्जवड सीटस् फॉर वीमन इन पंचायती राजः डा. नुपुर तिवारी–कॉमन वेल्थ जनरल ऑफ लोकल गवनरनेन्स, 2009
- पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन उमा लवानियां – 2014
- समाचार पत्र : इण्डियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंण्डिया, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि।
- शोध पत्रिकायें : समाज वैज्ञानिककी, समाज कल्याण, नवज्योति, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, आऊटलुक, योजना आदि।
- भारत सरकार, वार्षिक रिर्पोट, महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली, 1997–98
- भारत सरकार, सभी के लिए शिक्षा, भारतीय परिदृश्य, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनवरी, 1994